

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-728 / 2017 / अजमेर

मैसर्स एटलस कोफ्को इण्डिया लि.
प्लॉट नं. 47,48,49 न्यू आर.के.कॉलोनी, बरल II,
बिजय नगर, अजमेर

...अपीलार्थी

बनाम
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कोन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल, सदस्य

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एम.जैन एवं श्री अरिजय जैन
अभिभाषक
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09.06.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या-12 / 2017-18 / वैट / बिजयनगर में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कोन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर (जिन्हें आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61(1) के अन्तर्गत द्वारा वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2017 पारित किया गया हैं, उक्त आदेश में कायम मांग राशि रूपये 3,09,27,596/- पर रोक के आवेदन को अस्वीकार किया है। को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच दिनांक 03.11.2015 को सहायक आयुक्त वृत्त-ए ब्यावर द्वारा की गई। तत्पश्चात् फर्म की ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 22.07.2016 को वर्ष 2014-15 की अवधि 01.10.2014 से 31.03.2015 की तैयार की गयी जिसमे सहायक आयुक्त वृत्त-ए ब्यावर द्वारा व्यवहारी की राजविस्टा पर वर्ष 2014-15 की तृतीय एवं चतुर्थ की प्रस्तुत की गयी रिटर्न वेट-10 को मद्देनजर रखते हुए विवरण प्रपत्र त्रुटिपूर्ण भरा जाना निर्धारित कर करापवंचना होना माना गया। ऑडिट रिपोर्ट में प्रस्तावित करापवंचन के निर्धारण बाबत् पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित हुई। व्यवहारी ने वित्तीय वर्ष

2/

लगातार.....2

2014-15 के अन्तर्गत 01.10.2014 से 31.03.2015 की अवधि में राशि रू. 7,11,54,002/- का टर्न ओवर Consumable goods used in works contract के रूप में एवं राशि रू 40,56,663 की बिक्री free of cost सप्लाई की घोषित की है। कर निर्धारण अधिकारी ने सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए अधिनियम की धारा 25, 55, 61(1) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.03.2017 पारित किया जिसमें यह माना कि हिन्दुस्तान जिंक लि. व व्यवहारी कम्पनी एटलस कोरपोरेशन इण्डिया लि. के बीच अनुबन्ध केवल मात्र मूल कम्पनी (एटलस कोप्को स्वीडन) द्वारा सप्लाई की गई मशीनों की रिपेरिंग एवं मेन्टेनेन्स का था न कि ड्रिलिंग का। रिपेरिंग एवं मेन्टेनेन्स का अनुबन्ध धारा 2(44) के अनुसार कार्य संविदा है एवं धारा 2(35)(ii) के अनुसार Transfer of property in goods के अनुसार बिक्री में सम्मिलित योग्य है। इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने ठेका कार्य में अन्तर्गत कर योग्य माल राशि रू. 7,11,54,002/- पर 14 प्रतिशत की दर से 99,61,560/- रू. कर, धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज राशि रू. 29,67,182/- आरोपित की। इसी प्रकार व्यवहारी कम्पनी द्वारा राशि रू. 40,56,663/- का माल free of cost सप्लाई करना बताया है परन्तु व्यवहारी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि संव्यवहारी पर व्यवहारी कम्पनी की कर देयता नहीं है जिससे इस राशि रू 40,56,663/- पर 14 प्रतिशत की दर से कर राशि रू 5,67,932/- कायम किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने कुल कायम किये गये कर राशि रू. 99,61,507/- व राशि रू. 5,67,932/- कुल राशि रू. 1,05,29,493/- पर धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज राशि 31,41,199/- व धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति राशि रू. 2,10,58,986/- कायम की इस प्रकार कुल मांग 3,47,29,678/- रू निर्धारित की। व्यवहारी द्वारा इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.05.2017 द्वारा खारिज किया गया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नॉन स्पीकिंग है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का आकलन एवं परीक्षण नहीं किया है। कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.03.17 व 31.03.2017 एक

27

12

लगातार.....3

ही वित्तीय वर्ष से संबंधित है जबकि दो अलग-अलग आदेश पारित किये गये हैं और अपीलार्थी के विरुद्ध बहुत बड़ी मांग सृजित कर दी गई है जो तथ्यों के अनुरूप नहीं है। इन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी का राशि रु. 1,02,88,856/- कर जमा है क्योंकि अपीलार्थी का वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के कर निर्धारण में बैंक गारण्टी से भी राशि वसूली गई है जिससे अपीलार्थी का कर जमा जिसका समायोजन किया जाना है। इन्होंने समायोजित किये जाने वाले कर के संबंध में एक चार्ट प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के प्रथम भाग के कर निर्धारण में 16,70,613/- रु समायोजन योग्य अपीलार्थी का बनता है। आदेश दिनांक 30.03.2017 व 05.04.2017 से 32,35,735/- रु., वेट-41 नं. 0367538 से 11,58,080/- रु. व ब्याज 18,09,163/- रु कुल 78,73,591/- रु. अपीलार्थी कर अधिक जमा है। वर्ष 2013-14, 2014-15 के सत्यापन के बाद देय आईटीसी एवं वर्ष 2014-15 में सी-फोर्म द्वारा कम कराई मांग के पेटे राशि रु. 20,35,265/- व अनुपातिक ब्याज 3,80,000/- कुल 24,15,265/- रु. और अपीलार्थी के अधिक जमा है। इस प्रकार कुल राशि 78,73,591 + 24,15,265 = 1,02,88,856/- रु. अपीलार्थी का कर अधिक जमा है जो समायोजन योग्य है। इन्होंने यह भी कथन किया कि माननीय कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णयों के संबंध में रेक्टिफिकेशन की कार्यवाही विचाराधीन है जिससे माननीय कर बोर्ड के निर्णय अंतिम नहीं है। इन्होंने निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर मांग स्थगित की जावे।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी ने अपनी विवरणी में जो Exempted sale बताई है परन्तु व्यवहारी द्वारा Agreement में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि " In shedule 3 reparaie and maintainance includes cost of all spare parts consumable, lubricant, filter to maintain the dril machines ". इस प्रकार व्यवसायी द्वारा उपरोक्त अनुबन्ध जिसमे माल का सप्लाई कर dril machines में फिक्स कर रख रखाव का है जो धारा 2(35)(II) के अनुसार Transfer of property in goods है जो कि कर योग्य है। Free of cost दिखाई गई बिक्री भी कर योग्य थी क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। कर ब्याज व शास्ति के संबंध में समान बिन्दुओं को अपीलार्थी से संबंधित अन्य अपील संख्या 2221 / 2015 से 2223 / 2015 निर्णय दिनांक 05.04.2017 में कर व ब्याज को यथावत रखा गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत है जिस पर अपीलीय अधिकारी ने स्थगन आदेश पारित नहीं किया है। अतः अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

22

12


लगातार.....4


7. सर्वप्रथम प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि अपीलार्थी की अपील अच्छे हेतुक (Good Cause) की श्रेणी में है या नहीं। व्यवहारी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत 01.10.2014 से 31.03.2015 की अवधि में राशि रु. 7,11,54,002/- का टर्न ओवर Consumable goods used in works contract के रूप में एवं राशि रु 40,56,663 की बिक्री free of cost सप्लाई की घोषित की है जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने सही नहीं माना है व कर आरोपित किया है। माननीय टैक्स बोर्ड ने भी निर्णय दिनांक 05.04.2017 से इस बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट की है। हांलाकि माननीय टैक्स बोर्ड के इस निर्णय के संबंध में रेक्टिफिकेशन विचाराधीन बताया गया है परन्तु जब एक बार प्रकरण निर्णित हो गया है तो उसी बिन्दु को पुनः विवादित करना अच्छे हेतुक की श्रेणी में नहीं है जिससे आरोपित कर के संबंध में इस आधार पर कोई स्थगन नहीं दिया जा सकता कि करारोपण विधिसम्मत नहीं है परन्तु अपीलार्थी का यह कथन कि कुल राशि $78,73,591 + 24,15,265 = 1,02,88,856$ /- रु. अपीलार्थी का कर अधिक जमा है जो समायोजन योग्य है, के दृष्टिकोण से यह बिन्दु परीक्षण योग्य है जिसके आधार पर अपीलार्थी के कथनानुसार अधिक जमा कर राशि $1,02,88,856$ /-रु. की सीमा तक अपीलार्थी का प्रथम दृष्टतया मामला बनता है। स्वयं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 05.04.2017 में राशि रु. 43,09,745/- का अधिक जमा कर वर्ष 2015-16 हेतु अग्रेषित किया गया है।

8. अब इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि स्थगन नहीं दिये जाने से महत्त्वपूर्ण क्षति का बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में है या नहीं। विचाराधीन प्रकरण में शास्ति राशि $2,10,58,986$ /- रु. है। माननीय कर बोर्ड ने समान प्रकरण में उपरोक्त निर्णय दिनांक 05.04.2017 को शास्ति को अपास्त किया है। कर व ब्याज की अदायगी के संबंध में अपीलार्थी को कोई महत्त्वपूर्ण क्षति नहीं मानी जा सकती परन्तु शास्ति का भुगतान यदि अपीलार्थी को इस स्तर पर करना पड़ता है तो उसे अधिक असुविधा एवं आर्थिक रूप में महत्त्वपूर्ण क्षति होगी।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर कर व ब्याज की कुल मांग राशि रु. $1,36,70,692$ /- में से राशि रु. $1,02,88,856$ /- की सीमा व शास्ति राशि रु. $2,10,58,986$ /- पर अधीनस्थ न्यायालय में अपील के निर्णय या तीन माह की अवधि जो भी पहले हो, तक मांग वसूली अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि योग्य जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगित की जाती है। शेष कर व ब्याज की मांग राशि $1,36,70,692 - 1,02,88,856 = 33,81,836$ /- रु की वसूली हेतु विभाग स्वतंत्र है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को यह भी निर्देश है कि वे प्रकरण का शीघ्रताशीघ्र तीन माह में नियमानुसार एवं विधिसम्मत रूप से निस्तारण करे।

10. निर्णय सुनाया गया।


(नित्यूराम)
सदस्य


9.6.2017
(मदनलाल)
सदस्य